

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

सेवा में

निदेशक अभियोजन,
हरियाणा, पंचकूला।

यादी क्रमांक:- 4/1/2008-2जे0जे01
दिनांक चण्डीगढ़ 20/03/18

विषय:-

Submission of Annual Administrative Report of the Department,
before the council of ministers.

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक ए.पी. (3)-18/2421 दिनांक

28.02.2018 के संदर्भ में।

2. आपको वर्ष 2016-17 की प्रशासनिक रिपोर्ट की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति आगामी कार्यावाही हेतु भेजी जाती हैं।



(Signature)

अधीक्षक-जेल एवं न्यायिक-1,
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग

h w4

DP
22/3/18

ADP
22/3

SE
22/3

DS

M
22/3

3AP

19

CONFIDENTIAL

MEMORANDUM

Minister -in-Charge

Chief Minister, Haryana

Administrative Secretary

Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Administration of Justice Department.

Subject:- Annual Administrative Report of the Prosecution Department, Haryana for year 2016-17 alongwith its review and critique.

The Annual Administrative Report of the Prosecution Department, Haryana for the year 2016-17 alongwith its Review and Critique is submitted for consideration and approval by the Council of Ministers. After approval, the report and review will be got published in the Haryana Government Gazettee.

2. This memorandum is placed before the Council of Ministers in compliance with Government instructions contained in Haryana Government U.O. 16/22/2005-4PP, dated 04-05-2005.

3. Prior approval of Hon'ble Chief Minister has been obtained for placing this matter before the Council of Ministers.

Dated, Chandigarh
the
28.12.2017



(S.S. Prasad)

Additional Chief Secretary to Government, the
Haryana, Administration of Justice Department.




**CRITIQUE ON THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF PROSECUTION
DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2016-2017.**

The Directorate is supervising the Prosecution of all criminal cases by exercising control over the performance of the District Attorneys and their staff posted in various districts of the State. The successful Prosecution of criminal cases depends upon many factors quite a few of which are beyond the control of prosecution Agency. However, still the Prosecution Department has been making all out efforts to ensure effective prosecution of all criminal cases, which are put in by the Police in various courts of the State.

In order to ensure better co-ordination between the Police and Prosecution Agency, a Committee was constituted by the Government under the Chairmanship of the Deputy Commissioner, Superintendent of Police and District Attorney are its members. The Committee is required to meet at least twice a month or more frequently when it is required.

The Government has also revived the District Level Monitoring Committee in order to expedite the trial of criminal cases. This Committee is required to meet once in a month under the Chairmanship of District & Session Judge and the District Magistrate, Chief Judicial Magistrate, Superintendent of Police, District Attorney, Superintendent of Jail, District Probation Officer are its members.

Dated, Chandigarh
the 28.12.2017


(S.S. Prasad)
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

21

ADMINISTRATIVE REPORT OF PROSECUTION DEPARTMENT, HARYANA, FOR THE YEAR 2016-2017.

INTRODUCTION

The Prosecution Agency which was under the control of the Police Department was separated in the year 1974, as a sequel to the enforcement of the Code of Criminal Procedure in 1973. Consequently, the Directorate of prosecution came into existence with effect from 01.04.1974. The Assistant District Attorney (now Designated as Deputy District Attorney) as well as the District Attorney who were under the Administrative Control of the Legal Remembrancer & Secretary to Govt. Haryana, Law & Legislative Department were put under the administrative control of the Directorate of Prosecution. Similarly, the cadres of Prosecuting Deputy Superintendent of Police, Prosecuting Inspectors and Prosecuting Sub Inspectors, which were under the Administrative Control of the Police Department were abolished and incumbents were absorbed in the Directorate of Prosecution as District Attorneys, Additional Public Prosecutors (diminishing cadre) and Assistant District Attorney, Grade-II, respectively. The Directorate of Prosecution thus started functioning since 1st April, 1974.

ESTABLISHMENT

The charge of the department during the period under report was held by Sh. P.K. Dass, I.A.S. from 01.04.2016 to 17.05.2016 and Sh. Ram Niwas, I.A.S. from 18.05.2016 to 31.03.2017 Home Secretary respectively.

The charge of the office of the Director of Prosecution, Haryana, during the period under report was held by Sh. Narsher Singh.

The Directorate controls Law Officers which includes District Attorneys, Deputy District Attorneys, Assistant District Attorneys in the State who conduct civil and criminal cases in the courts and tender legal advice to various Government Departments.

The Assistant District Attorneys/Assistant Public Prosecutors in addition to their work in the Judicial Courts also attend the work of the courts of Executive Magistrates.

Part 'B' Law Officers in the Legal Cell in various Departments.

The Directorate of Prosecution also controls the cadre of Law Officers in the Legal cell posted in various departments of the State to cope with the legal work in these departments. The number of officers posted in the department were as per detail given below:-

1.	District Attorneys	:	32
2.	Deputy District Attorneys	:	72
3.	Assistant District Attorneys	:	99

Some of the Law Officers from the Directorate were also sent on deputation to various Corporations, Boards, etc.

22

List of Law Officers in the Districts

Table given below indicates the number of Courts of Sessions Judges, Additional Sessions Judge and other Judicial Magistrate vis-à-vis the number of Law officers as on 31.3.2016 who attended to the criminal work in the various courts of the Districts.

Sr.No.	Name of the District. Sub Divisions	No. of Courts of Distt. & Sessions	No. of Courts of the Addl. Distt. Judges	No. of judicial Courts	No. of District Attorneys	No. of Deputy District Attorneys	No. of Assistant District Attorneys
1	Ambala	1	4	13	1	5	7
	Naraingarh	-	-	2	-	-	0
2	Bhiwani	1	5	8	1	4	6
	Ch. Dadri	-	-	4	-	-	3
	Loharu	-	-	1	-	-	0
	Siwani	-	-	1	-	-	1
	Tosam	-	-	1	-	-	1
3	Faridabad	1	7	18	1	6	12
4	Fatehabad	1	3	4	1	2	5
	Tohana	-	-	2	-	-	0
	Ratia	-	-	1	-	-	1
5	Gurgaon	1	8	20	1	5	20
	Paraudi	-	-	3	-	-	2
	Sohna	-	-	3	-	-	0
6	Hisar	1	6	10	1	6	6
	Hansi	-	-	4	-	-	4
7	Jhajjar	1	6	6	1	4	5
	Bahadurgarh	-	-	4	-	-	5
8	Jind	1	5	5	1	4	3
	Narwana	-	-	3	-	-	2
	Safidon	-	-	2	-	-	1
9	Karnal	1	9	13	1	9	8
	Assand	-	-	2	-	-	1
	Indri	-	-	1	-	-	1
10	Kaithal	1	3	8	1	3	5
	Guhla	-	-	1	-	-	0
11	Kurukshetra	1	4	9	1	3	7
	Pehowa	-	-	2	-	-	2

	Sahabad	-	-	2	-	-	-	0
12	Mewat at Nuh	1	4	4	1	-	4	
	Ferozpur Jhirkha	-	-	4	-	-	1	
13	Narnaul	1	5	6	1	5	2	
	Mohindergarh	-	-	4	-	-	2	
	Kanina	-	-	1	-	-	0	
14	Panchkula	1	3	5	1	3	5	
	Kalka	-	-	2	-	-	2	
15	Panipat	1	4	11	1	4	10	
	Samalkha	-	-	1	-	-	1	
16	Palwal	1	5	6	1	4	5	
	Hathin	-	-	2	-	-	1	
	Hodal	-	-	3	-	-	1	
17	Rewari	1	5	8	1	5	7	
	Kosli	-	-	1	-	-	2	
18	Rohtak	1	8	9	1	6	7	
	Meham	-	-	1	-	-	1	
19	Sirsa	1	5	7	1	3	7	
	Dabwali	-	-	3	-	-	1	
	Ellanabad	-	-	2	-	-	0	
20	Sonipat	1	6	8	1	4	8	
	Gohana	-	-	2	-	-	3	
	Ganaur	-	-	1	-	-	2	
	Kharkhoda	-	-	1	-	-	1	
	Yamunanagar	1	5	9	1	5	6	
21	Bilaspur	-	-	3	-	-	3	
	Total	21	110	257	21	91	190	

CONDUCT OF CRIMINAL CASES

Part 'A' Total cases

The District Attorneys and Deputy District Attorneys conducted criminal cases in the court of Sessions Judge and Additional Sessions Judge respectively whereas the Assistant District Attorneys conducted criminal cases in the courts of Judicial Magistrates. During the period under report, total number of criminal cases conducted and prosecuted by Law Officers in Sessions Courts and Lower Courts are given As Appendix "A".

The main reasons for the acquittal in the cases are as follows:-

(i) Resiling of witnesses

One of the main reasons for acquittal of accused in the cases is that in a considerable number of cases, the material witnesses resile from their earlier statements during trial. Besides, there are other cases in which not all but some of the material witnesses turn hostile causing serious dent in the prosecution cases as a result of which majority of these cases result into acquittal..

(ii) Poor investigation of cases.

To secure conviction, the prosecution has to prove its case beyond the reasonable doubt. A thorough investigation and presenting the credible evidence to the Public Prosecutor to fight the case is the responsibility of the investigating agency. However, it is generally found that in considerable number of cases, the investigating agency fail to collect sufficient and cogent evidence to connect the accused with the crime. In a number of cases, the Police in spite of ample opportunity, fails to join independent witnesses at the time of recovery which creates doubt in the mind of the court. Likewise, to secure conviction in the cases based on circumstantial evidence, the prosecution has to fully establish the circumstances from which conclusion of guilt is to be drawn in a way that all the facts so established are consistent only with the hypothesis of guilt and they do not exclude any other hypothesis except the one sought to be proved. Further the circumstances on which reliance has been placed are conclusive in nature and the chain of circumstances is so complete that there is no scope for any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of accused. But in majority of such cases, the chain of circumstances is seldom complete. Further, the Police usually does not resort to scientific methods of investigation.

(iii) Non- appearance of witnesses in courts of Judicial Magistrates.

It has been observed that in a number of cases, the material witnesses fail to appear before the courts for want of service of summons upon them. This happens as sometimes, summons are not issued well in time as a result of which many a times, these are not served and if served, not received back after service due to paucity of time. In such a situation, the courts cannot adopt coercive methods to procure presence of witnesses even after their service.

23

Secondly, sometimes sincere efforts to effect service of summonses upon witnesses are not made by the summoning agency as a result of which cases are adjourned from time to time. Such type of cases remain pending in the courts for years together and ultimately evidence of prosecution is closed by order of the court and accused are acquitted for want of evidence.

Part 'B' pendency of criminal cases.

A perusal of figures given in Appendix "A" would also show that the number of cases which remained pending in various Sessions & Judicial Courts at the end of the year in the State was abnormally high in view of increase in criminal work. However, the percentage of conviction during the period under report in Session Courts is 39% and in Lower Courts 53% which shows that the performance of Prosecuting Agency has been satisfactory.

Part-C Vigilance measures

During the year 2016-2017 the following employees have been awarded punishment by adopting vigilance measures:-

1.	No. of officers/official whose Annual increments were withheld	-	1(Dy. District Attorney)
2.	No. of officer/official stopped At Efficiency Bar	-	Nil
3.	No. of officer Warned	-	1 (District Attorney)
4.	No. of officers/official placed Under suspension	-	2 (Assistant District Attorney)
5.	No. of officers punished under Censure	-	Nil

No officer/official of this Department has been caught red handed by the State Vigilance Bureau, Haryana during the period of report and no criminal case against any officer/official has been registered.

24

CONSOLIDATED STATEMENT OF CRIMINAL CASES PENDING/DISPOSED OFF BY THE SESSIONS COURTS DURING THE YEAR OF 2016-2017

OFFENCE	CASES PENDING AT THE BEGINNING OF THE YEAR	CASES RECEIVED DURING THE YEAR	CASES WITHDRAWN DURING THE YEAR	TOTAL NO. OF CASES FOR DISPOSAL	TOTAL NO. OF CASES DISPOSED OFF DURING THE YEAR	TOTAL NO. OF CASES ENDED IN		ACQUITTAL ON COMPROMISE STATEMENT OF THE ACCUSED HAS NOT BEEN RECORDED U/s 313 Cr.P.C.	PERCENTAGE OF CONVICTION	PERCENTAGE OF ACQUITTAL	BALANCE CASES AT THE END OF THE YEAR
						CONVICTION ON MERIT	ACQUITTAL ON MERIT				
MURDER	1303	808	47	2064	806	388	303	115	56%	44%	1258
DOWRY DEATH	215	200	17	398	192	51	86	55	37%	63%	206
DECOITY/ROBBERY	641	481	39	1083	514	73	352	89	17%	83%	569
DECOITY WITH MURDER	15	3	0	18	14	7	6	1	54%	46%	4
RAPE	782	1072	69	1785	895	180	350	365	34%	66%	890
ABDUCTION/ KIDNAPPING FOR RANSOM	139	118	14	243	100	15	53	32	22%	78%	143
OFFENCE COMMITTED BY PUBLIC SERVANT	493	603	40	1056	351	46	280	25	14%	86%	705
P.C.ACT	313	100	1	412	130	45	70	15	39%	61%	282
SC/ST CASES (TRIED BY SESSION COURT)	276	424	4	696	304	48	146	110	25%	75%	392
OTHER IPC CASES TRIED BY SESSION COURT	2713	3415	174	5954	2336	541	1235	660	30%	70%	3618
CASES UNDER NDPS ACT	1561	1099	20	2640	406	355	27	24	93%	7%	2234
APPEAL DISPOSED OFF	1045	981	23	2003	689	276	324	94	46%	54%	1314
TOTAL	9496	9304	448	18352	6737	2025	3232	1585	39%	61%	11615

CONSOLIDATED STATEMENT OF CRIMINAL CASES PENDING/DISPOSED OFF BY THE LOWER COURTS FOR THE YEAR 2016-17

OFFENCE	CASES PENDING AT THE BEGINNING OF THE YEAR	CASES RECEIVED DURING THE YEAR	CASES WITH DRAWN DURING THE YEAR	TOTAL NO. OF CASES FOR DISPOSAL	TOTAL NO. OF CASES DISPOSED OFF DURING THE YEAR	TOTAL NO. OF CASES ENDED IN		ACQUITTAL ON COMPROMISE STATEMENT OF THE ACCUSED HAS NOT BEEN RECORDED U/s 313 Cr.P.C.	% OF CONVICTION	% OF ACQUITTAL	BALANCE CASES AT THE END OF THE YEAR
						CONVICTION ON MERIT	ACQUITTAL ON MERIT				
IPC CASES	97825	35623	3325	130123	32666	8081	16646	7939	33%	67%	97457
CASES UNDER NDPS ACT	1215	637	30	1822	322	124	187	11	40%	60%	1500
CASES UNDER EXCISE ACT	9225	10274	694	18805	10055	7436	2397	222	76%	24%	8750
GAMBELING ACT	2508	4067	27	6548	3952	3426	489	37	88%	12%	2596
CASES UNDER ANY OTHER LOCAL ACT	6948	2682	351	9279	2420	843	1471	106	36%	64%	6859
CASES TRIABLE BY THE LOWER COURTS	2428	4991	70	7349	5006	4407	548	51	89%	11%	2343
Total	120149	58274	4497	173926	54421	24317	21738	8366	53%	47%	119505

28

गोपनीय

ज्ञापन

कार्यकारी मंत्री

मुख्यमंत्री, हरियाणा

प्रशासकीय सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

विषय:- अभियोजन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2016-17 इसकी समीक्षा तथा समालोचना सहित।

अभियोजन विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, समीक्षा तथा समालोचन सहित, मन्त्री परिषद के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ के लिए प्रस्तुत की जाती है। अनुमोदन के पश्चात् समीक्षा को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया जायेगा।

2. सरकार की हिदायते अशा: क्रमांक 16/22/2005-4पी0पी0 दिनांक 04.05.2005 की अनुपालना में यह ज्ञापन मन्त्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है।

3. इस मामले को मन्त्री परिषद के सम्मुख रखने हेतु माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

दिनांक चण्डीगढ़
28.12.2017



(Handwritten signature)

(एस0एस0 प्रसाद)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

27


अभियोजन विभाग की वर्ष 2016-17की प्रशासनिक रिपोर्ट की समालोचना

अभियोजन निदेशालय राज्य में इस समय सभी अपराधिक केसों के अभियोजन का पर्यवेक्षण राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात जिला न्यायवादियों तथा उनके अमले के कार्य पर नियंत्रण कर रहा है। अपराधिक केसों का सफल अभियोजन अनेक बातों पर निर्भर करता है, जिनमें कुछ अभियोजन विभाग (एजैन्सी) के वश से परे हैं। फिर भी अभियोजन विभाग उन सभी अपराधिक केसों के प्रभावपूर्ण अभियोजन को सुनिश्चित बनाने के सभी प्रयत्न कर रहा है, जो पुलिस द्वारा राज्य के विभिन्न न्यायालयों में दाखिल किये जाते हैं।

2. अभियोजन एजैन्सी और पुलिस विभाग के बीच ठीक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित जिला के उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिसके कि पुलिस अधीक्षक और जिला न्यायवादी सदस्य है एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की मीटिंग महीने में दो बार या इससे अधिक बार जब भी उचित समझा जाए की जानी निश्चित की गई है।

3. फौजदारी केसों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने पूर्व गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण कमेटी को भी पुनः परिवर्तित कर दिया है। इस कमेटी जिसके कि जिला एवं सत्र न्यायधीश अध्यक्ष हैं और जिसके कि जिला दण्डाधिकारी, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायवादी, जेल अधीक्षक, जेल परीवीक्षा अधिकारी सदस्य हैं, की मास में एक बार बैठक हुआ करेगी।

दिनांक चरडीगढ़
28.12.2017


(एस0 एस0 प्रसाद)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

28

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए अभियोजन विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट।

प्रस्तावना

अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के कार्यरूप में आने के फलस्वरूप अभियोजन एजेंसी जोकि पुलिस विभाग के नियंत्रणाधीन थी, वर्ष 1974 के दौरान अलग हो गई। इसके फलस्वरूप अभियोजन निदेशालय 1.4.1974 को कार्यरूप में आ गया। सहायक जिला न्यायवादी (जिनकी पद संज्ञा अब उप जिला न्यायवादी है) और जिला न्यायवादी जोकि पहले विधायी विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में थे, अभियोजन निदेशालय के प्रशासकीय नियंत्रण में कर दिए गए। इसी प्रकार अभियोजन उप पुलिस अधीक्षक, अभियोजन निरीक्षक और अभियोजन उप निरीक्षण के काडर जोकि पुलिस विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में थे, समाप्त कर दिए गए और अभियोजन निदेशालय में क्रमशः जिला न्यायवादियों, अपर लोक अभियोजकों (अपचयन संवर्ग) और सहायक जिला न्यायवादियों ग्रेड-2 के रूप में समायोजित किए गए। इस प्रकार दिनांक 1.4.74 से अभियोजन निदेशालय ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया।

स्थापना

विभाग का कार्यभार रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दिनांक 01.04.16 से 17.05.16 तक श्री पी.के. दास, भा0प्र0से0 एवं दिनांक 18.05.16 से 31.03.17 तक श्री राम निवास, भा0प्र0से0 गृह सचिव द्वारा सम्भाला गया।

निदेशक, अभियोजन के कार्यालय का कार्यभार रिपोर्ट की अवधि के दौरान श्री नरशेर सिंह के पास रहा।

अभियोजन निदेशालय विधि अधिकारियों के कॉडरज को नियंत्रित करता है, जिसमें राज्य के सभी जिला न्यायवादी, उप जिला न्यायवादी तथा सहायक जिला न्यायवादी सम्मिलित है जो न्यायालयों में अपराधिक तथा सिविल केस संचालित करते हैं तथा विभिन्न सरकारी विभागों को विधि मंत्रणा देते हैं।

सहायक जिला न्यायवादी/सहायक लोक अभियोजक, न्यायिक कोर्ट में अपने कार्य के अतिरिक्त कार्यकारी मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में भी कार्य करते हैं।

29

जिला में नियुक्त विधि अधिकारी

दी गई तालिका विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, अपर न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के न्यायालयों की संख्या और उसमें नियुक्त विधि अधिकारियों की संख्या को दर्शाती है, जिन्होंने विभिन्न जिला स्तर के न्यायालयों में अपराधिक कार्य निपटारा किए।

क्रमांक	जिले का नाम	जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की संख्या	एडिशनल डिस्ट्रिक्ट की संख्या	जुडिशियल कोर्ट्स की संख्या	जिला न्यायालयों की संख्या	उप न्यायालयों की संख्या	सहायक न्यायालयों की संख्या	जिला न्यायालयों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	अम्बाला	1	4	13	1	5	7	
	नारायणगढ़	0	0	2	0	0	0	
2	भिवानी	1	5	8	1	4	0	
	चरखी दादरी	0	0	4	0	0	6	
	लोहारू	0	0	1	0	0	3	
	सिवानी	0	0	1	0	0	0	
	तोशाम	0	0	1	0	0	1	
3	फरीदाबाद	1	7	18	1	6	1	
4	फतेहाबाद	1	3	4	1	2	12	
	टोहाना	0	0	2	0	0	5	
	रतिया	0	0	1	0	0	0	
5	गुड़गांव	1	8	20	1	5	1	
	पटौदी	0	0	3	0	0	20	
	सोहना	0	0	3	0	0	2	
6	हिसार	1	6	10	1	0	0	
	हांसी	0	0	4	0	6	6	
7	झज्जर	1	6	6	1	0	4	
	बहादुरगढ़	0	0	4	0	4	5	
8	जींद	1	5	5	1	0	5	
	नरवाना	0	0	3	0	4	3	
	सफीदों	0	0	2	0	0	2	
		0	0	2	0	0	1	

50

9	करनाल	1	9	13	1	8
	असन्ध	0	0	2	0	1
	इन्द्री	0	0	1	0	1
10	कैथल	1	3	8	1	1
	गुहला	0	0	1	0	5
11	कुरुक्षेत्र	1	4	9	1	0
	पेहवा	0	0	2	0	7
	शाहबाद	0	0	2	0	2
12	मेवात (नूह)	1	4	4	1	0
	फिरोजपुर	0	0	4	1	4
	झिरखा	0	0	4	0	1
13	नारनौल	1	5	6	1	1
	महेन्द्रगढ़	0	0	4	0	2
	कान्हा	0	0	1	0	2
14	पंचकूला	1	3	5	1	0
	कालका	0	0	2	0	5
15	पानीपत	1	4	11	1	2
	समालखा	0	0	1	0	10
16	पलवल	1	5	6	1	1
	हथिन	0	0	2	0	5
	होडल	0	0	3	0	1
17	रेवाड़ी	1	5	8	1	1
	कोसली	0	0	1	0	7
18	रोहतक	1	8	9	1	2
	महम	0	0	1	0	7
19	सिरसा	1	5	7	1	1
	डबवाली	0	0	3	0	7
	एलनाबाद	0	0	2	0	1
						0

15

20	सोनीपत	1	6	8	1	4	8
	गोहाना	0	0	2	0	0	3
	गन्ौर	0	0	1	0	0	2
	खरखौदा	0	0	1	0	0	1
21	यमुनानगर	1	5	9	1	5	6
	बिलासपुर	0	0	3	0	0	3
	कुल	21	110	257	21	91	190



(Handwritten signature)

भाग-बी- विभिन्न विभागों में लीगल कक्षों में नियुक्त विधि अधिकारी

अभियोजन निदेशालय विभिन्न विभागों में विधि कार्यों के निपटाने हेतु विभिन्न विभागों के विधि कक्षों में नियुक्त विधि अधिकारियों के संवर्ग को भी नियंत्रित करता है ।

विभिन्न विभागों में नियुक्त विधि अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1.	जिला न्यायवादी	32
2.	उप जिला न्यायवादी	72
3.	सहायक जिला न्यायवादी	99

इस निदेशालय के कुछ विधि अधिकारी विभिन्न निगमों/बोर्डों आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए ।

अपराधिक केसों का निपटान

भाग- क कुल केस

जिला स्तर पर नियुक्त विधि अधिकारियों ने सत्र एवं न्यायिक न्यायाधीशों के न्यायालयों में किमीनल केसों का संचालन एवं अभियोजन किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विधि अधिकारियों द्वारा किमीनल केसों के प्रचालन एवं अभियोजन की कुल संख्या विवरण परिशिष्ट-क में दी गई है।

(i) गवाहों का अपने बयानों से फिर जाना

अधिकतर केसों में दोषियों के बरी होने के कारणों में से एक मुख्य कारण महत्वपूर्ण गवाहों का केस में मुकदमे के दौरान अपने पूर्व के बयानों से मुकरना है। इसके अतिरिक्त कुछ केसों में सभी नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गवाह अपने पहले दिए बयानों से मुकर जाते हैं, जो अभियोजन केसों में एक गम्भीर कमी डालते हैं, जिस कारण ऐसे अधिकतर केसों में दोषी बरी हो जाते हैं ।

(ii) केसों में जॉच का स्तर निम्न होना

किसी केस में दोषियों को सजा करवाने के लिए अभियोजन पक्ष को अपना केस सन्देह के दायरे से बाहर सिद्ध करना होता है। लोक अभियोजक को केस लड़ने के लिए गहन जॉच और विश्वासनीय गवाही उपलब्ध करवाना जॉच एजैन्सी की जिम्मेवारी होती है, जबकि प्रायः यह पाया जाता है कि अधिकतर केसों में जॉच एजैन्सी दोषी को जुर्म से जोड़ने के लिए पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य एकत्रित करने में असफल रहती है। काफी केसों में पर्याप्त अवसर होने के बावजूद पुलिस निष्पक्ष गवाहों को रिकवरी की जॉच में शामिल नहीं करती, जो न्यायालय को सन्देह पैदा करता है। इसी प्रकार परिस्थितियों पर आधारित गवाही के केसों में अभियोजन को अपने केस में परिस्थितियों को पूरी तरह इस प्रकार सिद्ध करना होता है कि जिससे दोष का निष्कर्ष इस प्रकार निकाले कि सभी तथ्य इस प्रकार सिद्ध होते हों जिससे दोष का अनुमान लगाया जा सके और जो अनुमान सिद्ध किया जाना है उससे अन्यथा अनुमान न लगाया जा सके । इसके अतिरिक्त परिस्थितियों, जिन पर विश्वास किया गया है निर्णायक हों और परिस्थितियों की कड़ी इस प्रकार पूरी हो, जिससे दोषी के दोषमुक्त होने का प्राप्य आधार ना बनता हो, परन्तु अधिकतर केसों में परिस्थितियों की कड़ी कभी ही पूरी होती है। इसके अतिरिक्त पुलिस आमतौर पर जॉच के वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग नहीं करती।

(iii) न्यायिक दण्डाधिकारियों के न्यायालय में गवाहों का उपस्थित न होना

काफी संख्या में केसों में यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण गवाह उन्हें सम्मन प्राप्त न होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार सम्मन समय पर जारी नहीं हो पाते, जिस कारण कई बार यह तामिल नहीं हो पाते और यदि तामिल हो जाए तो समय के अभाव के कारण वापिस नहीं पहुंचते, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय सम्मन के तामिल होने के उपरान्त भी गवाहियों हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठोस तरीका नहीं अपना सकती। दूसरे कई बार गवाहों पर सम्मन की तामिल करने के लिए **summoning agency** द्वारा वास्तविक प्रयत्न नहीं किए जाते, जिस कारण केस समय-समय पर स्थगित किए जाते हैं। इस प्रकार के केस कई सालों तक न्यायालयों में लम्बित रहते हैं और आखिरकार अभियोजन पक्ष की गवाही न्यायालय के आदेश से बन्द हो जाती है और प्रायः गवाही न होने के कारण दोशी बरी हो जाते हैं।

भाग 'ख' किमीनल केसों का लम्बित होना

परिषिष्ट 'ख' में दिये गये आंकड़ों के विवरण से यह स्पष्ट है कि वर्ष के अन्त तक लोअर कोर्टस में केस किमीनल कार्य में अधिकता के कारण काफी मात्रा में लम्बित रहे फिर भी इस अवधि में सेशन कोर्टस में 39 प्रतिशत तथा लोअर कोर्टस में 53 प्रतिशत की दर से केसों में सजा करवाई गई।

भाग 'ग' चौकसी से सम्बन्धित कार्यवाही

वर्ष 2016-17के दौरान चौकसी से सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनाए गए तरीकों के अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को सजाएं दी गई:-

1. जितने अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई।	01 (उप जिला न्यायवादी)
2. जितने अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षतारोध पर रोका गया।	शून्य
3. जितने अधिकारियों को चेतावनी दी गई।	01 (जिला न्यायवादी)
4. निलम्बित किए गए कर्मचारियों की संख्या	02 (सहायक जिला न्यायवादी)
5. Censure आदि की दी गई सजा बारे।	शून्य

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है और न ही किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध रिपोर्टाधीन अवधि में कोई अपराधिक मुकद्दमा दर्ज किया गया है।

34

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ऑफ किंगीनल केसिज 2016-17 सेशन कोर्टस

अपराध	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	वर्ष के आरम्भ में लम्बित केसों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त हुए केसों की संख्या	वर्ष के दौरान विदग्धा हुए केसों की संख्या	डिस्पोजल के लिए कुल केसों की संख्या	वर्ष के दौरान डिस्पोज किए गए केसों की संख्या	सजा हुए केसों की संख्या	एक्विटल केसों की संख्या	जिन केसों में धारा 313 के अन्तर्गत ध्यान दर्ज नहीं हुए हैं समझौते के कारण बरी हुए केसों की संख्या	कविकषण की प्रतिशतता	एक्विटल की प्रतिशतता	वर्ष के अन्त में लम्बित केसों की संख्या	
कत्ल केस	1303	808	47	2064	806	388	8	9	10	11	12	
दहेज सम्बन्धी मृत्यु केस	215	200	17	398	192	51	303	115	56%	44%	1258	
डकैती/लूटमार केस	641	481	39	1083	514	73	86	55	37%	63%	206	
डकैती में कत्ल केस	15	3	0	18	14	7	352	89	17%	83%	569	
बलात्कार के केस	782	1072	69	1785	895	180	6	1	54%	46%	4	
बहकाकर ले जाना/धन के लिए उठा ले जाना	139	118	14	243	100	15	350	365	34%	66%	890	
पब्लिक सर्वैन्ट द्वारा किए गए जुर्म	493	603	40	1056	351	46	53	32	22%	78%	143	
पी0सी0एक्ट के तहत केस	313	100	1	412	130	45	280	25	14%	86%	705	
एस0सी0/एस0टी0केसिज	276	424	4	696	304	48	146	110	25%	75%	392	

35

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ऑफ किमीनल केसिज 2016-17 सेशन कोर्ट्स

अपराध	वर्ष के आरम्भ में लखित केसों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त हुए केसों की संख्या	वर्ष के दौरान विद्वान हुए केसों की संख्या	डिस्पोजल के लिए कुल केसों की संख्या	वर्ष के दौरान डिस्पोज किए गए केसों की संख्या	सजा हुए केसों की संख्या	एविटल केसों की संख्या	जिन केसों में धारा 313 के अन्तर्गत ध्यान दर्ज नहीं हुए थे समझौते के कारण बरी हुए केसों की संख्या	कन्विकषन की प्रतिशतता	एविटल की प्रतिशतता	वर्ष के अन्त में लखित केसों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कत्ल केस	1303	808	47	2064	806	388	303	115	56%	44%	1258
दहेज सम्बन्धी मृत्यु केस	215	200	17	398	192	51	86	55	37%	63%	206
डकैती / लूटमार केस	641	481	39	1083	514	73	352	89	17%	83%	569
डकैती में कत्ल केस	15	3	0	18	14	7	6	1	54%	46%	4
बलात्कार के केस	782	1072	69	1785	895	180	350	365	34%	66%	890
बहकाकर ले जाना/धन के लिए उठा ले जाना	139	118	14	243	100	15	53	32	22%	78%	143
पब्लिक सर्वैन्ट द्वारा किए जुर्म	493	603	40	1056	351	46	280	25	14%	86%	705
पी0सी0एक्ट के तहत केस	313	100	1	412	130	45	70	15	39%	61%	282
एस0सी0 / एस0टी0केसिज	276	424	4	696	304	48	146	110	25%	75%	392

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज किए गए केस	2713	3415	174	5954	2336	541	1235	660	30%	70%	3618
एनडीपीएस के तहत केस दर्ज	1561	1099	20	2640	406	355	27	24	93%	7%	2234
सेषन कोर्ट द्वारा डिस्पोज की गई अपीलें एक्सआईज एक्ट, ईओसीएक्ट, इनसैक्टेसाईड एक्ट	1045	981	23	2003	689	276	324	94	46%	54%	1314
कुल	9496	9304	448	18352	6737	2025	3232	1585	39%	61%	11615